भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं 1552**
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: दलहनों की खेती**

**1552. श्री नरेश गणपत म्हस्के:**
**श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
**श्री राजेश वर्मा:**
**श्रीमती शांभवी:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का दलहनों की घरेलू मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए मिशन को नए क्षेत्रों या राज्यों तक विस्तारित करने का विचार है;
(ख) क्या सरकार ने दलहन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कृषि-जलवायु क्षेत्रों का आकलन किया या उन्हें चिह्नित किया है;
(ग) इसके अंतर्गत कवर किया गया कुल क्षेत्र, प्राप्त उत्पादन-लक्ष्य और दलहनों के आयात में अनुमानित कमी का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(घ) मिशन के आरंभ के बाद से इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है और साथ ही बीज-किट और कृषि-आदानों के लिए राज्यवार और वर्षवार कितनी सहायता प्रदान की गई है;
(ङ) मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादकों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों और सिंचाई सहायता की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा मिशन के अंतर्गत उच्च उपज देने वाली किस्मों के वितरण, प्रौद्योगिकी अपनाने और मशीनीकरण सहायता के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) एवं (ख):** भारत सरकार, देश में किसानों के कल्याण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) नामत: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन-दलहन (एनएफएसएनएम-दलहन) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से दलहन उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम-दलहन के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को, फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, बुआई सीजन के

दौरान, प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता वर्धन आदि पर इंसेंटिव्स प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्यों को अनुकूलता भी प्रदान करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में दलहन की खेती के लिए उपयुक्त कृषि-जलवायु क्षेत्रों की पहचान की है, इन कृषि- जलवायु क्षेत्रों में, दलहन उत्पादन के लिए मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं।

**(ग) से (च):** पिछले तीन वर्षों (अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान, कुल दलहन का राज्य-वार क्षेत्रफल और उत्पादन अनुबंध-I में दिया गया है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, दलहन का उत्पादन, आयात, निर्यात और कुल उपलब्धता निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

| वर्ष | उत्पादन | आयात* | निर्यात* | कुल उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1+2)-3 |
| 2021-22 | 273.02 | 27.00 | 3.87 | 296.15 |
| 2022-23 | 260.58 | 24.96 | 7.63 | 277.91 |
| 2023-24 | 242.46 | 47.39 | 5.94 | 283.91 |

*स्रोत: वाणिज्यिक, जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), कोलकाता

एनएफएसएनएम कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाएँ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सिफारिशों/सूचनाओं के बाद संबंधित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, जिसमें राज्यों को राज्य-वार घटक-वार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सूचित किए जाते हैं। अत: पिछले 3 वर्षों के दौरान, एनएफएसएनएम-दलहन के अंतर्गत, राज्य-वार आवंटन और फंड जारी करने का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएफएसएनएम-दलहन के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार, प्रत्येक बुआई सीजन से पहले, क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों के माध्यम से अखिल भारतीय बीज आवश्यकता और उपलब्धता पर आयोजित बैठकों में सभी राज्यों के साथ समन्वय करती है। भारत सरकार ने न्यूक्लियस-ब्रीडर-फाउंडेशन-प्रमाणित बीज से लेकर बीजों की समग्र सूची की प्रभावी निगरानी रखने, पारदर्शिता लाने और उसके रख-रखाव के लिए सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इंवेंटरी (साथी) पोर्टल लॉन्च किया है।

किसानों को बुआई सीजन से पहले (अर्थात रबी और खरीफ) अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार, प्रमुख उर्वरकों, जैसे; यूरिया, डीएपी, एमओपी, कॉम्प्लेक्स और एसएसपी उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करती है। यह आकलन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित "कृषि आदानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों" के माध्यम से किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आंकी गई उर्वरकों की आवश्यकता की जानकारी, उर्वरक विभाग को दी जाती है ताकि बुआई सीजन शुरू होने से पहले उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर उर्वरक की उपलब्धता की निगरानी की जाती है।

देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित की जा रही है। पीडीएमसी, सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) को सभी राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है और छोटे जोत वाले क्षेत्रों और कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं के समाधान के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना है। दलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एनएफएसएनएम कार्यक्रम के तहत किसानों को विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे; नवीनतम फसल उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन, नई जारी की गई उच्च उपज वाली किस्मों का वितरण और उत्पादन, आईएनएम और आईपीएम तकनीकें आदि के लिए सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एनएफएसएनएम- दलहन के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रगति का विवरण निम्नलिखित है-

| **हस्तक्षेप** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25*** |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन (लाख हेक्टेयर) | 2.81 | 3.61 | 3.41 |
| बीज वितरण (लाख क्विंटल) | 2.27 | 1.74 | 1.59 |
| बीज उत्पादन (लाख क्विंटल) | 2.12 | 2.70 | 1.75 |
| आईएनएम और आईपीएम (लाख हेक्टेयर) | 17.98 | 11.39 | 16.26 |

*यह प्रगति अस्थायी है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संशोधित प्राप्ति के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है।

**अनुबंध-I**

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान, कुल दलहन का राज्य-वार क्षेत्र कवरेज और उत्पादन निम्नानुसार है:

| राज्य | क्षेत्र (लाख हेक्टेयर मे) | | | उत्पादन (लाख टन में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
| आंध्र प्रदेश | 10.32 | 9.41 | 11.39 | 10.76 | 8.23 | 9.59 |
| असम | 1.44 | 2.20 | 1.66 | 1.11 | 1.68 | 1.27 |
| बिहार | 4.34 | 4.68 | 4.48 | 4.14 | 3.99 | 4.01 |
| छत्तीसगढ | 6.26 | 5.45 | 6.87 | 4.75 | 3.65 | 4.51 |
| गुजरात | 13.10 | 11.25 | 13.16 | 17.93 | 15.47 | 19.36 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.49 | 0.49 | 0.45 |
| झारखंड | 7.28 | 7.09 | 8.96 | 7.61 | 7.64 | 9.68 |
| कर्नाटक | 28.26 | 26.09 | 34.07 | 17.57 | 16.69 | 18.88 |
| मध्य प्रदेश | 56.22 | 51.29 | 45.55 | 62.67 | 59.74 | 54.09 |
| महाराष्ट्र | 49.94 | 44.32 | 49.79 | 46.35 | 40.08 | 50.35 |
| ओडिशा | 8.65 | 9.66 | 5.41 | 4.95 | 5.47 | 3.02 |
| पंजाब | 0.32 | 0.75 | 0.60 | 0.33 | 0.69 | 0.64 |
| राजस्थान | 54.98 | 54.67 | 54.02 | 36.17 | 33.35 | 38.75 |
| तमिलनाडु | 7.91 | 7.17 | 7.50 | 5.03 | 3.86 | 3.70 |
| तेलंगाना | 4.43 | 3.30 | 3.54 | 4.97 | 3.61 | 3.83 |
| उत्तर प्रदेश | 27.56 | 30.43 | 21.77 | 28.43 | 31.15 | 23.32 |
| उत्तराखंड | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.62 | 0.52 | 0.48 |
| पश्चिम बंगाल | 4.57 | 4.42 | 4.39 | 4.51 | 4.33 | 4.25 |
| अन्य | 2.54 | 2.03 | 2.30 | 2.22 | 1.81 | 2.23 |
| अखिल भारतीय | 289.01 | 275.05 | 276.24 | 260.58 | 242.46 | 252.38 |

*वर्ष 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार। स्रोत: यूपीएग पोर्टल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**अनुबंध-II**

पिछले 3 वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, एनएफएसएनएम-दलहन के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन और जारी फंड का विवरण निम्नानुसार है:

(केन्द्रीय शेयर रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | जारी किया गया फंड | आवंटन | जारी किया गया फंड | आवंटन | जारी किया गया फंड |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 20.94 | 0.00 | 26.30 | 6.58 | 29.07 | 18.17 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1.22 | 0.30 | 1.35 | 0.68 | 1.70 | 0.85 |
| 3 | असम | 72.61 | 54.37 | 82.82 | 73.59 | 82.86 | 76.47 |
| 4 | बिहार | 24.54 | 6.14 | 23.26 | 17.45 | 59.60 | 56.40 |
| 5 | छत्तीसगढ | 67.68 | 31.38 | 33.00 | 24.75 | 61.83 | 60.94 |
| 6 | गोवा | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.05 |
| 7 | गुजरात | 13.02 | 9.76 | 11.57 | 5.25 | 16.07 | 12.06 |
| 8 | हरियाणा | 4.30 | 1.08 | 5.35 | 1.34 | 5.89 | 2.94 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1.73 | 0.86 | 2.43 | 1.82 | 1.93 | 1.44 |
| 10 | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 1.81 | 0.45 | 1.53 | 0.38 | 2.70 | 2.02 |
| 11 | झारखंड | 20.19 | 0.00 | 28.77 | 7.19 | 28.77 | 14.38 |
| 12 | कर्नाटक | 83.09 | 54.34 | 97.18 | 97.18 | 116.00 | 86.62 |
| 13 | केरल | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
| 14 | संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 153.02 | 38.26 | 223.70 | 111.85 | 224.87 | 168.65 |
| 16 | महाराष्ट्र | 68.76 | 34.38 | 103.79 | 77.84 | 100.69 | 77.99 |
| 17 | मणिपुर | 4.02 | 0.00 | 4.95 | 1.24 | 6.77 | 5.08 |
| 18 | मेघालय | 0.54 | 0.14 | 0.68 | 0.17 | 0.68 | 0.42 |
| 19 | मिजोरम | 0.58 | 0.00 | 0.77 | 0.19 | 0.86 | 0.53 |
| 20 | नगालैंड | 3.96 | 1.98 | 6.77 | 5.07 | 6.77 | 6.77 |
| 21 | ओडिशा | 37.72 | 9.43 | 40.02 | 20.01 | 80.35 | 64.29 |
| 22 | पंजाब | 1.15 | 0.00 | 1.43 | 0.33 | 1.79 | 0.89 |
| 23 | राजस्थान | 144.54 | 67.64 | 186.98 | 65.45 | 192.16 | 78.39 |
| 24 | सिक्किम | 1.09 | 0.54 | 1.83 | 1.38 | 1.52 | 1.33 |
| 25 | तमिलनाडु | 31.09 | 23.32 | 23.02 | 23.01 | 23.24 | 23.25 |
| 26 | तेलंगाना | 9.53 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 5.93 |
| 27 | त्रिपुरा | 1.45 | 0.36 | 1.80 | 0.90 | 1.52 | 0.95 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 47.69 | 23.85 | 60.63 | 45.38 | 60.63 | 53.05 |
| 29 | उत्तराखंड | 4.40 | 3.30 | 5.48 | 2.74 | 5.48 | 3.43 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 33.37 | 23.41 | 38.56 | 38.56 | 40.26 | 33.21 |
| | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योग | 854.28 | 385.30 | 1026.08 | 630.36 | 1166.14 | 856.60 |

******